विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 18 फरवरी, 2010

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–30/2009–लेज.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16–02–2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश धूम्रपान प्रतिषेध और अधूम्रसेवी स्वास्थ्य संरक्षण (निरसन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 29) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव ।

2009 का विधेयक संख्यांक 29

हिमाचल प्रदेश धूम्रपान प्रतिषेध और अधूम्रसेवी स्वास्थ्य संरक्षण (निरसन) विधेयक, 2009

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश धूम्रपान प्रतिषेध और अधूम्रसेवी स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 17) का निरसन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धूम्रपान प्रतिषेध और अधूम्रसेवी स्वास्थ्य संरक्षण (निरसन) अधिनियम, 2009 है। संक्षिप्त नाम।

2. (1) हिमाचल प्रदेश धूम्रपान प्रतिषेध और अधूम्रसेवी स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। 1997 के अधिनियम संख्यांक 17 का निरसन और व्यावृत्तियां।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत और उपगत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, शास्ति, समपहरण या दण्ड चालू या प्रवर्तनशील रहेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो उक्त अधिनियम निरसित न किया गया हो।

Bill No. 29 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF SMOKING AND NON-SMOKERS HEALTH PROTECTION (REPEAL) BILL, 2009

(As Passed by the Legislative Assembly)

A

BILL

to repeal the Himachal Pradesh Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection Act,1997(Act. No. 17 of 1997).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection (Repeal) Act, 2009.

Repeal of Act No. 17 of 1997 and savings.

2. (1) The Himachal Pradesh Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection Act,1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any investigation, legal proceedings, penalty, forfeiture or punishment accrued or incurred under the Act so repealed, shall be continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Act had not been repealed.